कार्यालय कलेक्टर (लोकसेवा प्रबंधन विभाग), जबलपुर

जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के पद पर भर्ती

कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर में लोकसेवा प्रबंधन विभाग में जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं |

आवेदन पत्र mponline के माध्यम से online प्राप्त किये जायेंगे | online आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.06.2023 है | आवेदन का प्रारूप, अहर्ताएं/योग्यता, संविदा नियुक्ति की शर्तें www.mponline.gov.in अथवा iforms.mponline.gov.in एवं www.jabalpur.nic.in पर उपलब्ध है |

जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को रु. 35000/- एकजाई मासिक मानदेय प्राप्त होगा |

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(चित्रांशु त्रिपाठी)
प्रभारी जिला प्रबंधक
लोकसेवा प्रबंधन विभाग
कलेक्टर कार्यालय जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर (लोकसेवा प्रबंधन विभाग) जिला जबलपुर में रिक्त पद की जानकारी

क्र	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर					एक मुश्त वेतन
			UR	OBC	ST	SC	EWS	
1	जिला लोकसेवा प्रबंधक	1	1	-	-	-	-	35000/- मासिक

जिला प्रबंधक (लोकसेवा) हेतु अहर्ता

(1) **शैक्षिणिक योग्यता -**

1.1 मान्यता प्राप्त संस्था से एम.बी.ए. अथवा विज्ञान समूह से स्नातकोत्तर.

1.2 कंप्यूटर के व्यवहारिक ज्ञान सहित कंप्यूटर में डिप्लोमा|

(2) आवेदक का म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी : (आयु सीमा की गणना के लिए तिथि 01.01.2023 होगी)

क्र	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
6	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	45

2.1 **आयु सीमा में छूट -**

(क) मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्र एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी |

(ख) अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी |

3.1 आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये गये हैं | डाक, व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा |

3.2 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 25.06.2023.

3.3 **आवेदन शुल्क :** रु 500 (सामान्य श्रेणी) एवं रु 300 (SC/ST/OBC/PH)

4. उक्त पद म.प्र. के मूल निवासियों के लिए है अतः म.प्र. का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

5. **चयन प्रक्रिया के चरण/आधार -**

1. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने तथा साक्षात्कार हेतु उपयुक्त उम्मीदवार को चयन करने के लिए जिले में कलेक्टर द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की चयन समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी |
2. सर्वप्रथम एमबीए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा. एमबीए में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता के आधार पर अधिकतम 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा. साक्षात्कार कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा एवं कोई उपयुक्त अभ्यर्थी मिला तो उसे नियुक्त किया जायेगा.
3. उपरोक्त कंडिका 2 में योग्य उम्मीदवार न मिलने पर विज्ञान समूह के स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा और प्रवीणता के आधार पर अधिकतम 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा. कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा.
4. यदि MBA योग्यता धारण करने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं तब कंडिका 2 एवं 3 में उल्लिखित श्रेणी के आवेदनों को एक साथ लिया जा सकेगा. अर्थात MBA एवं स्नातकोत्तर को Qualifying Exam में प्राप्तांक के आधार पर एक ही सूची में रखा जायेगा. इस प्रकार दो सूचियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
5. दो आवेदकों के प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी |
6. जिले द्वारा तैयार अंतिम सूची जिले की वेबसाइट www.jabalpur.nic.in पर प्रकाशित की जएगी साथ ही योग्य उम्मीदवार द्वारा दी गयी ई-मेल पर भी प्रेषित की जाएगी |
7. प्रावधिक चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा.
8. प्रावधिक चयन पश्चात् दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा.
9. चयनित उम्मीदवार को आदेश जारी करने के दिनांक से 30 कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, चयनित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में मेरिट सूची के अगले क्रम वाले उम्मीदवार के नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे |
10. साक्षात्कार के पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार हेतु योग्य उम्मीदवारों के निम्न मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा :-

    i. हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची.

    ii. हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची.

III. पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र (जो अभ्यर्थी पर लागू हो).

IV. मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु (स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र)

दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी अर्हताएं ठीक पाए जाने पर ही वास्तविक पदस्थापना आदेश जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा | उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी अमान्य कर दी जाएगी |

11. निरहर्तायें :-

I. परऱुपधारण :- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिए अनहर्कारी माना जायेगा |

II. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर |

III. कदाचार सम्बन्धी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचारण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो | यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो |

IV. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले मे वह दोषी सिद्ध हुआ हो |

V. स्वास्थ्य सम्बन्धी मानसिक रूप से फिट न होने पर :- किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे |

VI. फर्जी दस्तावेज/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो |

VII. वर्तमान या पूर्व मे किसी भी जिला से कदाचरण, अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवा से प्रथक किये गये हो अथवा इस सम्बन्ध मे कोई प्रकरण विचाराधीन हो |

12. मेरिट/चयन सूची की वैधता :- अर्हता मेरिट सूची की वैधता जारी किये जाने के दिनांक से 02 वर्ष के लिए होगी |

13. ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी :

क्र	कार्यवाही	दिनांक
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	12.06.2023.
2.	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करना	15.06.2023.
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	25.06.2023.
4.	मेरिट लिस्ट सूची तथा साक्षात्कार हेतु प्रथम 10 अभ्यर्थियों की सूची जारी करना	30.06.2023.

5.	साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार दिनांक की सूचना अभ्यर्थियों को प्रदाय करना एवं सूची जिले की वेबसाइट www.jabalpur.nic.in पर अपलोड करना	05.07.2023.
6.	साक्षात्कार उपरांत जिले से प्रावधिक चयन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति आमंत्रित करना	15.07.2023.
7.	अंतिम चयन सूची जारी करना	25.07.2023

संविदा नियुक्ति शर्तें

1.0 **संविदा अवधि**

1.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी | वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा | मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा | इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिए होगी |

1.2 3 वर्ष के पश्चात् आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा |

1.3 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण सम्बन्धी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा |

1.4 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में शासन द्वारा दिए गये निर्देशानुसार वृद्धि की जाएगी |

2.0 **मानदेय/पारिश्रमिक**

जिला प्रबंधक (लोकसेवा) को संविदा अवधि के दौरान रु. 35000/- प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जायेगा | महंगाई एवं गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा.

2.1 **यात्रा एवं दैनिक भत्ता -**

जिला प्रबंधक (लोकसेवा) को द्वितीय श्रेणी के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा.

3.0 **ई.पी.एफ. कटौत्रा -**

ई.पी.एफ. कटौत्रा के सम्बन्ध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे |

4.0 **अवकाश -**

(क) **आकस्मिक अवकाश-** संविदा पर नियुक्त अधिकारीयों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी |

(ख) **चिकित्सा अवकाश-** संविदा पर नियुक्त अधिकारीयों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी, चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा |

(ग) **प्रसूति अवकाश-** संविदा पर नियुक्त अधिकारीयों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश अथवा 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी | प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा |

प्रसूति सम्बन्धी गंभीर आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा | स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा |

(घ) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जायेगा | बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा |

5.0 अन्य -

5.1 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा|

5.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी |

5.3 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है|

5.4 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा |

5.5 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा |

5.6 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे |

5.7 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा |

5.8 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से सम्बंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा |

5.9 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा | चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जाएगी |

5.10 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे |

5.11 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रु. 250/- तक

अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने पर लगाया जा सकेगा | संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगते समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी |

5.12 चयनित अभ्यर्थी उसका पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा | यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाएगी |

5.13 विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा |

5.14 जिला प्रबंधक (लोकसेवा) का जॉब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा |

5.15 चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं 10th कक्षा की अंकसूची व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |

5.16 दस्तावेज अपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जाकर चयन सूची में दूसरे क्रमांक के अभ्यर्थी को अंतिम चयन हेतु दस्तावेज परिक्षण हेतु अवसर दिया जायेगा.

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,

.... म.प्र. ।

विषयः- जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ।

1. अ. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :..

   ब. अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :...

2. लिंग-पुरुष/महिला :...

3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित :...

4. अ. पत्र व्यवहार का पता :.. (पिन कोड सहित)

   ब. स्थाई पता :..(पिन कोड सहित)

   स. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :..

5. जन्म तिथि..............................वर्ष..........................माह.........................दिन....................

   (10+2 परीक्षा के प्रमाण-पत्र के आधार पर)

   शब्दों में...

6. दिनांक 01.01.2023 को आयु : वर्ष............................माह...............दिन.................

7. क्या म.प्र. शासन के किसी विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा कर्मचारी हैं :..............................

8. क्या म.प्र. के मूल निवासी हैं :..................................(हाँ/नहीं)

   (चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)

9. शैक्षिणिक योग्यता :

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	10th				
2.	हायर सेकेंडरी (10+2)				
3.	स्नातक				
4.	स्नातकोत्तर				
5.	एमबीए				
6.	कम्प्यूटर डिप्लोमा				
7.					

10. कार्य अनुभव के विवरण - इस सम्बन्ध में आवश्यक सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

:: घोषणा-पत्र ::

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पुर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ | जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी |

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

जिला प्रबंधक (लोक सेवा)

// अनुबंध //

मैं .... पिता/पति .... पद जिला प्रबंधक (लोक सेवा) दिनांक .... को जिला कलेक्टर, जिला जबलपुर के पक्ष में निम्नानुसार करारनामा करता/करती हूँ । प्रस्तुत करारनामा दिनांक .... से .... तक के लिये लागू रहेगा ।

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति को संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के एक सप्ताह की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. संविदा नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा । चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दिशा में नियुक्ति अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जाएगी ।
5. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।
6. जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को संविदा अवधि के दौरान रू. 35000/- प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। मंहगाई एवं अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

7.1 वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।

7.2 3 वर्ष के पश्चात आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि करने या नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा।

7.3 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में शासन द्वारा दिए गये निर्देशानुसार वृद्धि की जाएगी ।

8. ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

9. (क) आकस्मिक अवकाश- संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी ।

(ख) चिकित्सा अवकाश - संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।

(ग) प्रसूति अवकाश-संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। (केवल महिला अभ्यार्थी की स्थिति में यह कंडिका जोड़ी जाए)

(घ) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

12. जिला प्रबंधक (लोकसेवा) का जॉब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

13. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

14. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

15. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) को द्वितीय श्रेणी के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा.

16. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रूपये 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से

अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

17. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बताए नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी।

18. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पैंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि पात्रता होगी।

19. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

20. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाऐं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

21. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय बंधनकारी होगा।

1. प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर:...

नाम: ....

पदनाम: कलेक्टर, जबलपुर

2. द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर:...

नाम:...

पदनाम: जिला प्रबंधक (लोक सेवा)

1. प्रथम साक्षी

हस्ताक्षर...

नाम: ....

पता: ....

2. द्वितीय साक्षी

हस्ताक्षर...

नाम:...

पता: ....